

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-887 / 2010

संस्थित दिनांक-25.11.2010

फाईलिंग क्र.234503000322010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बैहर,  
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1-घनश्याम पिता शंकरसिंह, उम्र-35 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-दिलराज पिता छबीलाल, उम्र-31 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-हंसराज पिता हिरम्बर, उम्र-31 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-नकुलसिंह पिता गन्नेसिंह, उम्र-37 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

5-सम्हारु पिता सगनू यादव, उम्र-32 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

6-मोहनसिंह पिता मंगलूसिंह मरकाम, उम्र-45 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

7-रोशनलाल पिता सीताराम मोहबे, उम्र-45 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

8-निर्मलदास पिता दुआदास पनरिया, उम्र-37 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

9-सुखदेव पिता राजाराम तिल्लासे, उम्र-50 वर्ष,  
निवासी-ग्राम तुमड़ीभाट, थाना बैहर,  
जिला बालाघाट (म.प्र.)

### आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-18/07/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147, 353/149, 332/149, 506 भाग-2 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-05.10.2010 को करीब 11:45 बजे, ग्राम तुमड़ीभाट अंतर्गत थाना बैहर में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के साथ जिसका सामान्य उद्देश्य मारपीट कर चोट कारित करना था तथा उस जमाव के सदस्यों द्वारा उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया, आहत दिनेश कुमार वर्मा पर, जो एक लोक सेवक था, और इस नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया, सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत को, जो लोक सेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था तब कर्तव्य के विधि पूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर, कार्य से भयोपरत करने के लिए उसे मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- अभियोजन कहनी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी दिनेश ने दिनांक-12.10.2010 को थाना बैहर में इस आशय का लिखित आवेदनपत्र दिया गया कि वह प्राथमिक शाला ग्राम तुमड़ीभाट में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। दिनांक-05.10.2010 को वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था कि 11:45 बजे ग्राम तुमड़ीभाट के कुछ लोगों द्वारा शाला में घुसकर शाला के अभिलेख जिसमें वर्ष 2008, 2009 व 2010 की केशबुक व लेजर बुक एवं बिल फाईल देखने के बहाने छुड़ा लिये और उसके साथ मारपीट करने लगे और मारते पीटते बैहर लेकर आए। उपरोक्त आधार पर थाना बैहर में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-106/10,

धारा-147/149, 353, 332, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार कर गवाहों के कथन लिये गये। आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147, 353/149, 332/149, 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य दिया जाना प्रकट किया गया, परंतु बचाव साक्ष्य नहीं दी गई।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-05.10.2010 को करीब 11:45 बजे, ग्राम तुमड़ीभाट अंतर्गत थाना बैहर में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के साथ जिसका सामान्य उद्देश्य मारपीट कर चोट कारित करना था तथा उस जमाव के सदस्यों द्वारा उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत दिनेश कुमार वर्मा पर, जो एक लोक सेवक था, और इस नाते अपने कर्तव्य का निष्पादन कर रहा था, उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत को, जो लोक सेवक था, उस समय जब वह वैसे लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था तब कर्तव्य के विधि पूर्ण कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर, कार्य से भयोपरत करने के लिए उसे मारपीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-4 का निष्कर्ष :-**

5- अभियोजन साक्षी दिनेश वर्मा (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक-05.10.2010 की है। घटना के विषय में साक्षी ने कहा है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक को उससे कहा कि वे उसका मुंह काला करके बैहर में घुमाएंगे। उसने इस संबंध में लिखित आवेदन थाना बैहर में प्रस्तुत किया था। आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी एवं धमकी सुनकर फरियादी दिनेश को आपराधिक अभित्रास कारित हुआ था, यह बात साक्षी के कथनों से प्रकट नहीं हुई है।

6- राजकुमार (अ.सा.2), राशि बाजेपेयी (अ.सा.3), उमाशंकर (अ.सा.4), सुनीताबाई (अ.सा.5), विरेन्द्र कुमार परते (अ.सा.7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना के समय वे मौके पर उपस्थित थे और अभियोजन कहानी के अनुसार उपरोक्त साक्षी घटना के चक्षुदर्शी साक्षी थे। उन्होंने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं कहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी दिनेश को जान से मारने की धमकी दी थी और जान से मारने की धमकी सुनकर फरियादी दिनेश वर्मा को आपराधिक अभित्रास कारित हुआ था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-2 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग 2 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

**विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-**

7- अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक-05.10.2010 को लगभग 11:45 बजे ग्राम तुमड़ीभाट अंतर्गत थाना बैहर में आरोपीगण द्वारा विधि विरुद्ध जमाव किया गया एवं विधि विरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-141 विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधि विरुद्ध जमाव" कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो। पहला- केंद्रीय सरकार को या किसी राज्य को, या संसद को, या किसी राज्य के विधान मंडल, को या किसी लोक सेवक को, जब कि किसी ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक



बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना हो। इसलिए सर्वप्रथम यह देखना है कि आरोपीगण की संख्या पांच या पांच से अधिक थी एवं उनकी पहचान के विषय में कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए, तत्पश्चात् यह देखना है कि उनके द्वारा यह जमाव विधि विरुद्ध उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया था या नहीं।

8— अभियोजन साक्षी दिनेश (अ.सा.1) ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानता है। आरोपीगण की कितनी संख्या थी अथवा कौन-कौन आरोपीगण मौके पर उपस्थित थे, यह बात स्पष्टतः साक्षी ने अपने कथन में नहीं कहा है। इस संबंध में साक्षी राजकुमार (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नाम से नहीं जानता। आरोपीगण में से न्यायालय में उपस्थित तीन आरोपीगण घटना दिनांक को जूलूस में शामिल थे। इस प्रकार साक्षी के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को भीड़ अथवा जूलूस की संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। साक्षी राशि बाजपेयी (अ.सा.3) ने भी यह कहा है कि वह आरोपी घनश्याम, सम्हारू, निर्मलदास को जानता है। शेष आरोपीगण को नहीं जानता। इस प्रकार यदि संख्या के विषय में विचार किया जावे तो साक्षी राशि के द्वारा भी तीन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, शेष आरोपीगण का उल्लेख नहीं किया गया है। मौके पर भीड़ अथवा जूलूस की संख्या में लोगों की उपस्थिति होने से आरोपीगण की पहचान सुनिश्चित होना आवश्यक है। साक्षी उमाशंकर (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन कथन परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक-05.10.2010 को फरियादी दिनेश आगे था और गांव के बच्चे, महिलाएं एवं पुरुष उसके पीछे मुरदाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे।

9— साक्षी सुनीताबाई (अ.सा.5) का कहना है कि घटना दिनांक को वह स्कूल में खाना बना रही थी। आरोपीगण के द्वारा क्या किया गया था, इसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी पूरना उइके (अ.सा.6), धीरेन्द्र कुमार परते (अ.सा.7) ने कहा है कि वह आरोपीगण को पहचानते हैं, परंतु उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इसी आशय का कथन शेष कुंवर बाई (अ.सा.9) ने भी किया है कि घटना के विषय में उसे कोई जानकारी नहीं है।

10— अभियोजन कहानी अनुसार घटना दिनांक-05.10.2010 को आरोपीगण द्वारा फरियादी दिनेश के साथ मारपीट की गई थी और मारपीट करने के आशय से विधि विरुद्ध जमाव का कथन किया गया था। अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षियों के न्यायालयीन परीक्षण से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक

को भीड़ एवं जूलूस जैसी स्थिति थी, जिसमें गांव की महिलाएं व बच्चे सम्मिलित थे, परंतु आरोपीगण की उपस्थिति एवं पहचान के विषय में विसंगति होने से आरोपीगण घनश्याम, सुखदेव, निर्मलदास, समारू, हसराम, दिलराज, रोशन मोहबे, मोहन मसराम, नकुलसिंह द्वारा विधि विरुद्ध जमाव किया गया था यह बात संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रही है, क्योंकि भीड़ की स्थिति होने पर उस व्यक्ति के द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के साथ जिसका सामान्य उद्देश्य मारपीट कर चोट कारित करना था तथा उस जमाव के सदस्यों द्वारा उक्त सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में बल या हिंसा का प्रयोग किया गया, यह बात संदेह से प्रमाणित होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147 के अन्तर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-147 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

#### **विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 3 का निष्कर्ष :-**

11- अभियोजन साक्षी दिनेश (अ.सा.1) ने कहा है कि घटना दिनांक-05.10.2010 की है। वह शासकीय स्कूल तुमड़ीभाट में शिक्षक है। आरोपीगण स्कूल में घुस आए और उसे अश्लील गालियां देने लगे जो उसे सुनने में बुरी लगी। आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की और केस बुक व लेजर, मोबाईल एवं पैन उससे छुड़ा लिये। आरोपीगण ने तुमड़ीभाट से बैहर लेकर आए थे। इस संबंध में उसने लिखित आवेदन थाना बैहर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसमें उसके हस्ताक्षर हैं।

12- साक्षी दयाल सिंह तेकाम (अ.सा.10) ने कहा है कि दिनांक-25.11.2010 को वह विकासखण्ड अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसने फरियादी दिनेश की उपस्थिति के संबंध में कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी किया था, जो प्रदर्श पी-8 है, जिसमें उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक-08.11.2010 की उपस्थिति पंजी उसने नहीं देखी थी, इसलिए वह नहीं बता सकता कि किस दिनांक को फरियादी दिनेश वर्मा स्कूल में उपस्थित हुआ था या नहीं। उपरोक्त साक्षी ने फरियादी दिनेश घटना दिनांक को प्राथमिक शाला तुमड़ीभाट में शिक्षक के पद पर पदस्थ था, इस बात की पुष्टि की है। अब देखना यह है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी दिनेश वर्मा के शासकीय कार्य में बाधा डाली गई थी, कार्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई थी या नहीं।

13— अभियोजन साक्षी दिनेश (अ.सा.1) ने अपने परीक्षण में कहा है कि आरोपीगण ने स्कूल से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की थी। आरोपीगण किसी राजनैतिक दल का बैनर लगाकर मुरदाबाद चिल्ला रहे थे। आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसके साथ कार्यरत् दास मैडम नामक महिला ने छेड़छाड़ के विषय में उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिस स्कूल में वह कार्यरत् है उस स्कूल में कंचना नामदेव भी शिक्षक के रूप में पदस्थ है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि कंचना नामदेव ने छेड़छाड़ के विषय में उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आरोपीगण ने स्कूल के बाहर व अंदर दोनों ही जगह उसके साथ मारपीट की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने अपनी प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट में कमर में मारपीट से चोट आने वाली बात लेख नहीं कराई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण से यह प्रकट हो रहा है कि पूर्व में उसके विरुद्ध महिलाओं द्वारा छेड़छाड़ किये जाने से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

14— अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.2) ने कहा है कि वह आरोपीगण को नाम से पहचानता है। आरोपीगण घटना दिनांक को जूलूस में शामिल थे। अभियोजन साक्षी राशि बाजपेयी (अ.सा.3) ने कहा है कि घटना दिनांक को किराना की दुकान में बैठा था। आरोपी घनश्याम, सम्हारू, निर्मलदास के साथ 50-60 लोग और थे, जो जूलूस में दिनेश वर्मा को लेकर आ रहे थे। साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह नहीं कहा है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की थी अथवा उसके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। यदि साक्षी उमाशंकर गिरी (अ.सा.4) के कथनों पर विचार करें तो उसका कहना है कि उसने देखा था कि दिनांक-05.10.2010 को फरियादी के पीछे महिलाएं एवं पुरुष मुरदाबाद के नारे लगाते चल रहे थे। आरोपी घटना के समय शासकीय कार्य कर रहा था और उसके शासकीय कार्य में बाधा डालकर आरोपीगण ने कोई आपराधिक बल का प्रयोग या उसे भयोपरत करने का कृत्य किया गया था, यह बात साक्षी ने नहीं की है।

15— अभियोजन कहानी के विपरीत सुनीताबाई (अ.सा.5), पूरना उइके (अ.सा.6) ने कहा है कि उन्हें घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त अभियोजन साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी सुनीता बाई (अ.सा.5) ने इस बात को अस्वीकार किया कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके सामने फरियादी

के साथ मारपीट की थी और उसका जुलूस निकलवाया था। साक्षी धीरेन्द्र कुमार परते (अ.सा.7) को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी का कहना है कि दिनांक-05.10.2010 को आरोपीगण स्कूल में बैठक के संबंध में आए थे और उसके बाद आरोपीगण घर चले गए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षी धीरेन्द्र कुमार परते (अ.सा.7) उसी स्कूल में कार्यरत शिक्षक है, जिस स्कूल में फरियादी दिनेश वर्मा स्वयं को पदस्थ होना बता रहा है। साक्षी धीरेन्द्र परते (अ.सा.7) का कहना है कि घटना के समय आरोपीगण अपने घर चले गए थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने फरियादी दिनेश वर्मा के शासकीय कार्य में बाधा डालकर फरियादी दिनेश वर्मा का जुलूस निकाला था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी दिनेश वर्मा ने पालक शिक्षक संघ में अभद्र व्यवहार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपीगण द्वारा घटना के समय विवाद उत्पन्न नहीं किया गया था।

16- साक्षी रविनाथ मिश्रा (अ.सा.11) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-23.10.2010 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक-106/10 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर, विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौकानक्शा कंचना की निशानदेही पर तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-9 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने साक्षीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे। दिनांक-25.10.2010 को आरोपी घनश्याम, दिलराज मसराम, हंसराज, महानंदा, नकुलसिंह उइके, मोहनसिंह मरकाम, सम्हारु यादव, रोशनलाल महोबे, निर्मलदास पनरिया, सुखदेव तिल्लासी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-10 से लगायत 18 तैयार किया था, जिनक ए से ए भाग पर उसने तथा आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटनास्थल बताने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रदर्श पी-9 के मौकानक्शा में नहीं लिये थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि उससे विवेचना की कार्यवाही अपने मन से की थी।

17- अभियोजन साक्षी डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.8) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि वह दिनांक-05.10.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के सैनिक महिपाल द्वारा आहत दिनेश कुमार को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया था। आहत का परीक्षण करने पर उसके दाहिने चेहरे में कंटूजन तथा दाहिने कूल्हे एवं दाहिने भुजा



में दर्द होना पाया था। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि मुक्का या पिस्ट आ सकती थी, जो उसकी जांच करने के 6 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि घटना दिनांक को फरियादी दिनेश वर्मा को चोट नहीं थी।

18— घटना के विषय में अभियोजन साक्षी कंचना नागदेव (अ.सा.12) का कहना है कि वह आरोपी घनश्याम को चेहरे से जानती है, शेष आरोपीगण को नहीं पहचानती। घटना उसके बयान देने के 5 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय फरियादी दिनेश वर्मा और वह एक ही स्कूल में पदस्थ थे। फरियादी दिनेश वर्मा उसे परेशान करता था, जिस बात को लेकर उसका फरियादी दिनेश वर्मा से विवाद हुआ था, इस बात को स्कूल के बच्चों ने सुन लिया था और उन्होंने अपने पालकों को बताया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि फरियादी दिनेश वर्मा उस पर बुरी नियत रखता था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण ने जूलूस निकालकर फरियादी के विषय में घटना कारित की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा की गई शिकायत पर फरियादी दिनेश वर्मा को लगभग 2 माह तक निलंबित कर दिया गया था। उपरोक्त अभियोजन साक्षियों के कथनों से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनांक को फरियादी दिनेश वर्मा को पूर्व में पदस्थ शिक्षक कंचना नागदेवे के साथ विवाद होने की स्थिति में जूलूस के द्वारा स्कूल से निकाला गया था। फरियादी दिनेश वर्मा घटना के समय अपने शासकीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, ऐसा किसी भी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में नहीं किया है। यह भी स्पष्ट रूप से अभिलेख पर परिक्षित अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो रहा है कि आरोपीगण द्वारा घटना के समय फरियादी दिनेश वर्मा के साथ मारपीट की गई थी अथवा आपराधिक बल का प्रयोग किया गया था। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353/149, 332/149 के अन्तर्गत अपराध किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-353/149, 332/149 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

19— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-25.10.2010 से दिनांक-29.10.2010 तक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र

बनाया जावे।

20— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

सही/—

बैहर,  
दिनांक-18.07.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)